

# जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया बजट पेश : मुख्यमंत्री

**2050 तक रहेगी बीजेपी की सरकार- मनोहर लाल सरकार के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है**  
**राज्य सरकार हरियाणा को 7-स्टार प्रदेश बनाने की दिशा में बढ़ रही आगे**

**समाचार गेट ब्यूरो**  
**चंडीगढ़।** हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पिछली सरकारों की तरह मांग के आधार पर नहीं बल्कि जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है। जनता हम पर विश्वास करती है कि सरकार उनके लिए है। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वर्ष 2024-25 के पेश किए गए बजट अनुमानों पर चर्चा के दौरान बतौर वित्त मंत्री जवाब दे रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान

सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह एक जिले या एक इलाके को प्रदेश मानकर विकास करने की संस्कृति को खत्म किया है। हमने बिना मांगे पूरे प्रदेश में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के साथ-साथ विकसित हरियाणा के सपने को साकार करना हमारा संकल्प है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 2050 तक बीजेपी की सरकार रहेगी। बजट में आंकड़ों का महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते

हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का मूल सिद्धांत प्राप्ति और खर्च होता है, जिसमें एक पैसे का अंतर भी नहीं हो सकता। स्टेट ऑन टेक्स रेवेन्यू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2001-02 में यह आंकड़ा 4,971 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 84,551 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जोकि 20 गुणा से अधिक की वृद्धि है। हमारा स्टेट ऑन टेक्स रेवेन्यू बढ़ा है, जो विकास को दर्शाता है, परिणामस्वरूप हमारी जीएसटीपी भी बढ़ी है। एफआरबीएम एक्ट के अनुसार जीएसटीपी के 3 प्रतिशत तक हम कर्ज ले सकते हैं। वर्ष 2024-25 बजट अनुमानों में यह 2.77 प्रतिशत अनुमानित है। मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2014-15 में डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट 1.90 प्रतिशत था, जो अनुपूर्क अनुमान-2023-24 में 0.65 प्रतिशत रहा और वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 0.9 प्रतिशत



प्रस्तावित है। उम्मीद है कि यह 1 प्रतिशत से नीचे ही रहेगा। इसमें हम लगातार सुधार कर रहे हैं।

सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है

मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार अत्यंत दया के भावना से कार्य कर रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान व उनके जीवन को सरल

और सुगम बनाने के लिए काम किये जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि सरकार के सभी साधनों पर पहला अधिकार गरीब का है। हम हरियाणा एक-हरियाणावी एक के मूल सिद्धांत

पर चलते हुए प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने आय वृद्धि बोर्ड का गठन किया है, ताकि गरीब लोगों की आय को बढ़ाया जा सके और वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। पहले नारा चलता था रोटी, कपड़ा और मकान। हमने रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान भी जोड़ा है। हम सुशासन की अवधारणा से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को सरल और सुगम बना रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को 7-स्टार यानि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वामिभान, स्वावलंबन, सेवा और सुशासन प्रदेश बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने अपराध के तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2005 से 2014 तक 10 सालों में प्रदेश में हत्या के मामलों में वार्षिक वृद्धि दर 3.9 प्रतिशत थी, जो 2014 से अब तक

सदन में बजट पर चर्चा के दौरान अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी को घेरा

## 34 हजार करोड़ रूपए का कर्ज सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए लिया गया है: अभय सिंह चौटाला

**प्रदेश में कानून व्यवस्था का पूरी तरह से दिवालिया पिटा हुआ है: अभय सिंह चौटाला**  
**प्लास्टिक की बोतल बंद करके कांच की बोतल में शराब बेचने की पॉलिसी लाकर नया घोटाला करने की तैयारी: अभय सिंह चौटाला**  
**कहा पूर्व विधायक नफे सिंह राठी की निर्मम हत्या करने में किसी गैंग की कोई भूमिका नहीं है बल्कि यह बीजेपी गैंग का काम है**  
**अगर सही मायने में सरकार प्रदेश की हिंतेपी है तो जो शराब घोटाला हुआ था और उसकी तीन अलग-अलग जांच हुई थीं, उनकी रिपोर्ट सदन पटल पर रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा**



बढ़ाई गई लेकिन दो दिन बाद ही हटा दी गई। गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि जाँद एसपी को जो दर्खास्त मेरी तरफ से दी गई थी उसपर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? मुझे आजतक कोई भी सूचना आपकी तरफ से क्यों नहीं आई? बाकी और भी विधायकों को धमकियाँ मिली थीं उनकी जानकारीयाँ अपने उपलब्ध कराई या नहीं? मुझे आज ही सदन में जवाब दिया जाए कि पिछले आठ महीने में मेरी दर्खास्त देने के बाद क्या कार्रवाई की?

सदन में उन्होंने आबकारी विभाग से संबंधित एक नए घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि एक और नया माफिया खड़ा किया जा रहा है। पहले एक शराब माफिया था जो गोदामों से खिडकी तोड़ कर शराब की चोरी करके उसे बेचने का काम करता था। अब एक पॉलिसी और बन रही है जिसे तहत जबरदस्ती यह थोपा जा रहा है कि प्लास्टिक की बोतल को बंद करके शीशे की बोतल में शराब बेची जाएगी। जबकि प्लास्टिक की बोतल में शराब पूरे देश में बिकती है और एफडीए की तरफ से उसकी मंजूरी होती है। इस पॉलिसी से शराब और महंगी हो जाएगी जिसके कारण शराब का माफिया सक्रिय हो जाएगा और पड़ोसी प्रदेश से शराब की तस्करी बढ़ जाएगी। उन्होंने खुलासा किया कि वह पॉलिसी एक महिला जिसका नाम दीपिका सांगवान है, जो कहती है कि वो मंत्री की बुआ है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है। वो महिला शराब फैंकटी के मालिकों से कहती है कि उससे

## बजट के नाम पर सरकार ने की सिर्फ आंकड़ों की लीपापोती : हुड्डा

**हरियाणा पर कुल 4,51,368 करोड़ रूपए हुआ कर्ज, सच्चाई से नजर चुरा रही सरकार- हुड्डा**  
**नए लोन के 67,163 करोड़ में से पुराना लोन चुकाने में ही खर्च हो जाएंगे 64,280 करोड़ रूपए- हुड्डा**



**समाचार गेट ब्यूरो**  
**चंडीगढ़।** पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में बजट पर बोलते हुए इसे पूरी तरह आंकड़ों की लीपापोती करार दिया। हुड्डा ने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश पर कर्ज बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया। आज हरियाणा पर कुल 4,51,368 करोड़ रूपए (आंतरिक कर्ज- 3,17,982, स्मॉल सेविंग- 440,000, बॉन्ड व कॉरपोरेशन- 43,955, बकाया बिजली बिल व सर्विसी- 46,193) का कर्ज हो चुका है। लेकिन बीजेपी-जेजेपी सरकार इस सच्चाई से नजर चुराती नजर आ रही है। हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2024-25 के लिए भी सरकार ने 67,163 करोड़ रूपए लोन लेने की बात कही है।

जबकि पिछले लोन और उसके ब्याज के भुगतान में ही सरकार को 64,280 करोड़ रूपए खर्च करने होंगे। यानी नए कर्ज की 95.7 प्रतिशत राशि पुगने लोन की किरत देने में ही खर्च हो जाएगी। इसी तरह सरकार द्वारा बजट में 55,420 करोड़ के पूंजीगत निर्माण में व्यय करने की बात कही गई। लेकिन अगर इसमें से कर्ज की किरत व पेशगी बचा दी जाए तो यह राशि सिर्फ 16,280 करोड़ रूपए ही बचती है। यह ऊट के मुँह में ज़ीरे के समान है। इतनी राशि से बजट में की गई घोषणाओं को पूरा करना असंभव है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट सिर्फ आय और खर्च का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि ये प्रदेश में विकास की दिशा भी तय

करता है। लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे महज एक वित्तीय औपचारिकता बनकर रख दिया है। पिछले साढ़े नौ साल में इस सरकार ने जितने भी बजट पेश किए हैं, उनमें किए गए दावे और वादे कभी जमीन पर नहीं उतर पाए। नई कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की बजाय इस सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल की 100-100 गज प्लॉट आवंटन वाली योजना को ही बंद कर दिया। पक्की मांग रहे थे तो सरकार ने उन्हें कौशल निगम की टेकेराठी प्राय शुरू की गई। अग्निवीर जैसी योजना को लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। किसानों की

आय डबल करने का वादा करके उनकी लागत को कई गुना बढ़ा दिया गया। एक किसान सुनाते हुए हुड्डा ने कहा कि एकबार गांव में एक बच्चा मिठाई के लिए रो रहा था। एक बुजुर्ग आया जिसने बच्चे को उठाकर टॉड पर बैठा दिया। बच्चा रोने लगा और मिठाई की मांग छोड़कर, नीचे उतारने के लिए रोने लगा। बीजेपी-जेजेपी ने भी हरियाणा की जनता के साथ यहीं खेल खेला है। युवा पक्की नौकरी मांग रहे थे तो सरकार ने उन्हें कौशल निगम और अग्निवीर की की टॉड पर बैठा दिया। इसी तरह किसान दोगुनी आय मांग रहे थे, उन्हें कई गुना लागत की टॉड पर बैठा दिया।

## नफे सिंह राठी का विधायक के तौर पर दूसरा चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने किया था रद्द

इसी कारण पूर्व विधायक के तौर पर मिल रही थी एक कार्यकाल की पेंशन

**समाचार गेट ब्यूरो**  
**चंडीगढ़।** हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजिव कौशल ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में उप मंडल अभियंताओं की सीधी भर्ती में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हरियाणा सिविल सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स, संयुक्त भर्ती समूह-ख नियम, 2023 में संशोधन हेतु सात दिन के अन्दर सुझाव भेजने के निर्देश

दिए हैं। सभी प्रशासकीय सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह संशोधन करने का उद्देश्य लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई एवं जल संसाधन, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, शहरी स्थानीय विकास, नगर एवं ग्राम आयोजना समेत विभिन्न बोर्डों और निगमों जैसे

रशि बारे आर.टी.आई. आवेदन कर विस्तृत सूचना मांगी, तो उसमें नफे सिंह राठी को पूर्व विधायक के तौर पर केवल एक ही कार्यकाल अर्थात मई, 1996 से दिसम्बर, 1999 तक के कार्यकाल की पेंशन दी जा रही दर्शाया गया। मई, 1996 में वह समता पार्टी ( देवी लाल- ओपी चौटाला की पार्टी का तत्कालीन नाम जो बाद में पहले हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय -हलोदरा और तत्पश्चात इंडियन नेशनल लोक दल- इनलो बनी) के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे।



हेमंत ने बताया कि हालांकि नफे सिंह राठी फरवरी, 2000 में भी बहादुरगढ़ सीट से इनलो के टिकट पर दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए थे, इस प्रकार हालांकि उनकी पूर्व विधायक के तौर पर दो कार्यकाल की पेंशन बनती थी परन्तु चूँकि जनवरी, 2005 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने नफे सिंह राठी

उक्त मामले में दोषसिद्धि और सजा बरकरार थी जिस कारण नफे सिंह राठी विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका विधायक के तौर पर दूसरा चुनाव रद्द कर दिया गया था। इसी कारण हरियाणा विधानसभा द्वारा राठी को केवल उनके विधायक के तौर पर पहले कार्यकाल की ही पेंशन प्राप्त हो रही थी।

उक्त मामले में दोषसिद्धि एवं सजा बरकरार थी जिस कारण नफे सिंह राठी विधायक के तौर पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका विधायक के तौर पर दूसरा चुनाव रद्द कर दिया गया था। इसी कारण हरियाणा विधानसभा द्वारा राठी को केवल उनके विधायक के तौर पर पहले कार्यकाल की ही पेंशन प्राप्त हो रही थी।













